रजिस्ट्री संख्या डी. एल.—33001/92

REGISTERED NO. DL-33001/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 2, 1993/पौष 12, 1914

No. 1] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 2, 1993/PAUSA 12, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किये गये साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 11 जून, 1992

सा. का. नि. 1 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कम्पनी कार्य विभाग में ज्येष्ठ विश्लेषक (कार्य अध्ययन) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कम्पनी कार्य विभाग ज्येष्ठ विश्लेषक (कार्य अध्ययन) भर्ती नियम, 1992 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता :—वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Shipping Wing)

(Merchant Shipping)

New Delhi, the 16th December, 1992

G.S.R. 3.—The following draft of certain rules which the Central Government proposes to make in exercise of powers conferred by section 175, read with section 457, of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) further to amend the Merchant Shipping (Crew Accommodation) Rules, 1960, is hereby published as required by sub-section (1) of section 175 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty five days from the date on which the copies of the Gazette of India, in which this notification is published, are made available to the public.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft before the period so specified will be taken into consideration by the Central Government :

DRAFT RULES

1. These rules may be called the Merchant Shipping (Crew Accommodation) Amendment Rules, 1992.

2. After the proviso to sub-rule (3) of rule 3 of the Merchant Shipping (Crew Accommodation) Rules, 1960, (hereinafter referred to as the said rules), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(4) The plans shall be accompanied by fee as specified in rule 36".

3. For rule 36 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"36. Fees :—The fees for inspection of crew spaces or accommodation and for scrutiny of plans of crew accommodation spaces shall be as under :—

(1) Inspection of crew spaces of accommodation :—

(a) For each visit to the ship .. Rs. 500

(b) Maximum fee .. Rs. 3000

(2) Scrutiny of plans of crew accommodation Spaces :—

(a) ships under 100 tons .. Rs. 2400

(b) ships of 100 tons and above but under 7500 tons .. Rs. 3600

(c) ships of 7500 tons and above but under 15000 .. Rs. 4800

(d) ships of 15000 tons and above .. Rs. 7200

(3) Scrutiny of plans of crew accommodation spaces depicting alteration or reconstruction .. Rs. 1600

Provided that no fee shall be payable in respect of an inspection made in pursuance of clause (f) or rule 35, if the Central Government is satisfied that the inspection was made in consequence of an unjustified complaint.

[F. No. SR/11012/3/92-MA]
J. C. PANT, Under Secy.

Foot Note :—The principal rules were published in the Gazette of India vide GSR No. 1568, dated 30-12-1960 and were subsequently amended vide :

(1) GSR No. 61, dated 6-1-1967,

(2) GSR No. 1390, dated 12-12-1974.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 1992

सा.का.नि. 4.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आकाशवाणी (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1964 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी [समूह "ग" पद (भर्ती) संशोधन] नियम, 1992 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आकाशवाणी (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1964 की अनुसूची में पर्यवेक्षक के पद से संबंधित क्रम संख्या 72 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् :—

अनुसूची

क्रम सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
72.	पर्यवेक्षक	1* (1992) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अननुसचिवीय (अराजपत्रित)	1400-40-1800-द.रो.-50-2300 रु.	लागू नहीं होता	35 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके

40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)

(अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति की दशा में 45 वर्ष तक की जा सकती है।)

टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड संघ राज्य क्षेत्र अंदमान और निकोबार द्वीप या संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
8	9	10
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र सांख्यिकी या किसी भी समाज विज्ञान में डिग्री या समतुल्य और (ii) शब्द प्रक्रमक/कम्प्यूटर (वैयक्तिक कम्प्यूटर) पर अनुसंधान रिपोर्ट आंकड़ा के प्रलेखीकरण करने तथा फोटोस्टेट मशीन चलाने का कार्यसाधक ज्ञान हो।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष (केवल सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए)

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा
11	12
प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/विद्यालय से अर्थशास्त्र/सांख्यिकी/समाजशास्त्र या किसी भी सामाजिक विज्ञान में डिग्री या समतुल्य।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण :— (i) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में कार्य कर रहे ऐसे अधिकारियों में से जो सदृश पद धारण किए हुए हैं: या जिन्हें 1200—2040 रु. के वेतनमान में पांच वर्ष का अनुभव है या जिन्हें 950—1500 रु. के वेतनमान में दस वर्ष का अनुभव है। (ii) शब्द प्रक्रमक/कम्प्यूटर (वैयक्तिक कम्प्यूटर) पर अनुसंधान रिपोर्ट आंकड़ा के प्रलेखीकरण करने का एक वर्ष का अनुभव तथा फोटो स्टेट मशीन चलाने का कार्य साधक ज्ञान; और (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
विभागीय प्रोन्नति समिति (केवल पुष्टि के लिए) 1. निदेशक श्रोतु अनुसंधान आकाशवाणी—अध्यक्ष 2. उप निदेशक, श्रोतु अनुसंधान आकाशवाणी—सदस्य 3. अवर सचिव (योजना आयोग)—सदस्य	लागू नहीं होता

[सं. 7/4/91-ए.आर. वी. (ए)]
कश्मीरी लाल, अवर सचिव

मूल नियम आकाशवाणी (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1964 सा. का. नि. सं. 1776 तारीख 30/11/1964 द्वारा अधिसूचित किए गए और उनका पश्चात्वर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा किया जाएगा :—

1.	अधिसूचना	संख्या	11/5/64—बी(ए)	तारीख	9-8-65
2.	,,	,,	5/2/67—बी(ए)	,,	20-3-1967
3.	,,	,,	7/2/68—बी(ए)	,,	14-6-68
4.	,,	,,	7/8/66-बी(ए)	,,	31-1-1970
5.	,,	,,	20/8/67-बी(ए)	,,	24-2-1970
6.	,,	,,	16/20/69-बी(ए)	,,	30-3-1970
7.	,,	,,	1/7/70-बी(ए)	,,	18-3-1971
8.	,,	,,	1/8/71—बी(ए)	,,	29-1-1972
9.	,,	,,	1/8/71—बी(ए)	,,	2-2-1972

10.	अधिसूचना	संख्या	1/11/71—बी(ए)	तारीख	5-5-1972
11.	,,	,,	1/4/72—बी(ए)	,,	16-6-1972
12.	,,	,,	1/8/71—बी(ए)	,,	14-11-1972
13.	,,	,,	1/6/73—बी(ए)	,,	23-5-1973
14.	,,	,,	1/11/73—बी(ए)	,,	29-6-1973
15.	,,	,,	1/5/73—बी(ए)	,,	20-8-1973
16.	,,	,,	1/7/70—बी(ए)	,,	15-5 1974
17.	,,	,,	1/7/70—बी(ए)	,,	8-8-1974
18.	,,	,,	1/5/73—बी(ए)	,,	25-8-1974
19.	,,	,,	1/3/74—बी(ए)	,,	21-5-1976
20.	,,	,,	12019/1/74—बी(ए)	,,	26-12-1978
21.	,,	,,	12019/71/78—बी(ए)	,,	17-12-1980
22.	,,	,,	12019/8/80—बी(ए)	,,	27-4 1981
23.	,,	,,	12019/8/81—बी(ए)	,,	17-5-1982
24.	,,	,,	12019/4/81—बी(ए)	,,	11-4-1983
25.	,,	,,	45011/83/82—बी(ए)	,,	29-10-1983
26.	,,	,,	7/19/83—बी(ए)	,,	3-7-1984
27.	,,	,,	3/25/83—सी आर सी आर/ एस 11/एआई आर/बी ए	,,	2-6-1987
28.	,,	,,	7/5/86—ए आर/ए आई आर/ बी ए	,,	10-9-1987
29.	,,	,,	7/13/86—ए आर/बी ए	,,	10-11-1987
30.	,,	,,	8/36/87—एस 11/बी ए	,,	30-12-1987
31.	,,	,,	14/19/86—एस 11/बी ए	,,	27-4-1988
32.	,,	,,	2/7/88—सी आर सी आर/एस 11/एस VIII बी ए	,,	23-5-1988
33.	,,	,,	8/38/87-एस 11/बीए	,,	21-6-1988
34.	,,	,,	8/38/87—एस II/बीए	,,	22-6-1989
35.	,,	,,	2/32/88—एस IV/बी ए	,,	13-2-1990
36.	-		2/32/82—एस II बी (ए)		3-5-1991
37.	--		11/3/91—एस VI/बी (ए)		25-11-1991

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 8th December, 1992

G.S.R. 4— In exericse of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 1964, namely:

1. (1) These rules may be called the All India Radio (GroupC' Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1992.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1964, for serial number 72 relating to the post of Supervisor and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

SCHEDULE

S. No.	Name of Post	Number of Posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection posts or non-selection posts
1	2	3	4	5	6
"72.	Supervisor	*1 (1992) *Note : Subject to variation depending on work-load.	General Central Service Group 'C' Non-Ministerial (Non-Gazetted)	Rs. 1400-40-1800-EB-50-2300	Not applicable

Age for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and precentage of the vacancies to be filled by various methods.
7	8	9	10	11
35 years relaxable up to 40 years (up to 45 years in case of the Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates) in case of Government servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note : The crucial date for detrmining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islnds or the Union Territory of Lakshadweep.	(i) A degree in Economics, Statistics, Sociology or any social Science of a recognised University or equivalent; and (ii) Two years' experience in handling documentation of research reports data on Word Processor/Computer (Personal Computer) and working knowledge of handling photostat machines.	Not applicable	Two Years (For direct recruits only)	By transfer on deputation failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
12	13	14
By transfer on deputation:- (i) From amongst the Officers holding working in Central Government Offices holding analogous posts or with five years' experience in the scale of pay of Rs. 1200-2040 or ten years' experience in the scale of pay of Rs. 950-1500; (ii) One year's experience in handling documentation of research reports data on Word Processor/Computer (Personal Computer) and working knowledge of handling photostat machines; and (iii) A degree in Economics/Statistics/Sociology or any Social Science of a recognised University or equivalent. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation/department shall ordinarily not exceed three years).	Departmenial Promotion Committee (for confirmation only): 1. Director, Audience Research, All India Radio—Chairman 2. Deputy Director, Audience Research, All India Radio—Member. 3. Under Secretary (Planning Commission).—Member.	Not applicable

[No. 7/4/91—AR/B (A)]
KASHMIRI LAL, Under Secy.

Note :—The principal rules the All India Radio (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1964 were notified vide G.S.R. No. 1776 dated 30-11-1964 and subsequently amended vide:

1. Notification No. 11/5/64-B(A), dated 9-8-1965
2. Notification No. 5/2/67-B(A), dated 20-3-1967
3. Notification No. 7/2/68-B(A), dated 14-6-1968
4. Notification No. 7/8/66-B(A), dated 31-1-1970
5. Notification No. 20/8/67-B(A), dated 24-2-1970
6. Notification No. 15/20/69-B(A), dated 30-3-1970
7. Notification No. 1/7/70-B(A), dated 18-3-1971
8. Notification No. 1/8/71-B(A), dated 29-1-1972
9. Notification No. 1/8/71-B(A), dated 2-2-1972
10. Notification No. 1/11/71-B(A), dated 5-5-1972
11. Notification No. 1/4/72-B(A), dated 16-6-1972
12. Notification No. 1/7/71-B(A), dated 14-11-1972
13. Notification No. 1/6/73-B(A), dated 23-5-1973
14. Notification No. 1/11/73-B(A), dated 29-6-1973
15. Notification No. 1/5/73-B(A), dated 20-8-1973
16. Notification No. 1/7/70-B(A), dated 15-5-1974
17. Notification No. 1/7/70-B(A), dated 8-8-1974
18. Notification No. 1/5/73-B(A), dated 25-8-1974
19. Notification No. 1/3/74-B(A), dated 21-5-1976
20. Notification No. 12019/1/79-B(A), dated 26-12-1978
21. Notification No. 12019/1/78-B(A), dated 17-12-1980
22. Notification No. 12019/8/80-B(A), dated 27-4-1981
23. Notification No. 12019/8/81-B(A), dated 17-5-1982
24. Notification No. 12019/4/81-B(A), dated 11-4-1983
25. Notification No. 45011/83/82-B(A), dated 29-10-83
26. Notification No. 7/19/83-AR/B(A), dated 3-7-1984
27. Notification No. 3/25/83-CRCR/S. II/AIR|B(A), dated 2-6-87
28. Notification No. 7/5/86-AR/AIR/B(A), dated 10-9-1987
29. Notification No. 7/13/86-AR/B(A), dated 10-11-87
30. Notification No. 8/36/87-S. II/B(A), dated 30-12-87
31. Notification No. 14/19/86-S. II/B(A), dated 27-4-1988
32. Notification No. 2/7/88-CRCR/S. II/S. VIII|B(A), Dt. 23-5-88
33. Notification No. 8/38/87-S. II/B(A), dated 21-6-88
34. Notification No. 8|38|87-S. II|B(A), dated 22-6-89
35. Notification No. 2/32/88-S. IV/B(A), dated 13-2-90
36. Notification No. 2/32/82-S. II/B(A), dated 3-5-1991
37. Notification No. 11/3/91-S. VI/B(A), dated 25-11-1991.

दूर संचार मंत्रालय

संचार विभाग

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 1992

सा.का.नि 6.—पृष्ठ 582-583 पर भारत के राजपत्र के भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) दिनांक 25-4-1992 को सा.का.नि. 185 के द्वारा प्रकाशित भारत सरकार, संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग की अधिसूचना के नीचे निम्नलिखित टिप्पणी सम्मिलित की जाए :—

"टिप्पणी :—मुख्य भर्ती नियमों का प्रकाशन 31 जुलाई, 1991 को सा.का.नि. 512(ई) के द्वारा किया गया था।"

[सं. 12-42/90-एनसीजी]

आर. एल. गुप्ता, सहायक महानिदेशक

(एस टी सी)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 9th December, 1992

G.S.R. 5.—The following foot note may be inserted below notification of the Government of India in the Ministry of Communications, Department of Telecommunications published vide GSR 185 dated the 25th April, 1992 in the Gazette of India dated the 25th April, 1992 in part II Section 3, sub-section (i) on pages 582-583 namely :—

"Note :—The principal recruitment rules were published vide GSR 512(E) dated 31-07-1991."

[No. 12-42/90-NCG]

R. L. GUPTA, Asstt. Director General (STC)

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 1992

सा.का.नि. 6—केन्द्रीय सरकार, काफी अधिनियम, 1942 (1942 का 7) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए काफी नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम काफी (तीसरा संशोधन) नियम, 1992 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. काफी नियम, 1955 की पहली अनुसूची में,—

(क) प्ररूप क के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:—

"प्ररूप क

[नियम 43(1) देखिए]

19———के मौसम (सीजन) के लिए असंसाधित काफी के विक्रय हेतु अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन का प्ररूप

(1 जुलाई से 30 जून तक)

सम्पदा का नाम

रजिस्ट्रीकरण संख्या (अरजिस्ट्रीकृत सम्पदा के संबंध में सर्वेक्षण संख्या) | रजिस्ट्रीकृत क्षेत्र | तालुक | जिला

स्वामी और प्रबन्धक, यदि कोई हो, का नाम

डाक का पता

चालू मौसम की प्राक्कलित फसल	आन्तरिक विक्रय कोटा	बोर्ड द्वारा दी गई अनुज्ञप्ति के अधीन सम्पदा पर पहले ही विक्रय की गई या ऐसे विक्रय के लिए आरक्षित फसल और ऐसी अनुज्ञप्ति की विशिष्टियां	परिमाण जिसके लिए अनुज्ञप्ति अब अपेक्षित है

अरेबिका

1. पार्चमेंट
2. चेरी